



2026:AHC:14480

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2977, वर्ष 2025

हरी प्रसाद
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	प्रभाकर पाल
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता :	अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.एन. मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, तथा भूमि प्रबंधन समिति की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
"1. परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम मधिपुर, तहसील-जसरना, जिला-फिरोजाबाद में स्थित गाटा संख्या 534 क्षेत्र 2.546 हेक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ—यह भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि के रूप में दर्ज है—और साथ ही, प्रतिवादी संख्या 4 के अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करें।"
3. इस न्यायालय के दिनांक 24.9.2025 के आदेश के अनुपालन में, जिलाधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा भेजी गई दिनांक 4.11.2025 के निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।
4. श्री एम.एन. मिश्रा, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि भूखंड संख्या 534 क्षेत्रफल 0.0644 हेक्टेयर के संबंध में, वाद संख्या 2422/2024 में, 'सार्वजनिक परिसर अधिनियम' की धारा 3/5 के तहत दिनांक 31.10.2025 को एक आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उप-विभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूखंड को वन विभाग (सामाजिक वानिकी) को सौंपने का आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि उप-विभागीय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिकारी द्वारा दिनांक 31.10.2025 को पारित आदेश के आलोक में, इस मामले में अब आगे किसी भी प्रकार की 'कार्यवाही का कारण' शेष नहीं रह गया है।

5. विचाराधीन भूखंड के संबंध में, 'सार्वजनिक परिसर अधिनियम' की धारा 3/5 के तहत दिनांक 31.10.2025 को पारित आदेश को देखते हुए, इस मामले में आगे कोई कार्यवाही का आधार शेष नहीं रह जाता है।

6. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका का निस्तारण किया जाता है।

20 जनवरी 2026

पीएस

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"